



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3/जांच) विभाग

क्रमांक: प.1( )कार्मिक/क-3/जांच/2025/25880

जयपुर, दिनांक

**:-आदेश:-**

श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला-ब्यावर के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला-ब्यावर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है

अतः गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला-ब्यावर का निलम्बन अवधि के दौरान में मुख्यालय शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश कुमार मीणा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 02 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 03 विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 04 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 05 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 06 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 07 संभागीय आयुक्त, अजमेर।
- 08 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस के विरुद्ध उक्त निलम्बन के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस विभाग को मय अभिलेख सक्षम स्तर के अनुमोदन की प्रमाणित प्रति सहित तत्काल भिजवाने का श्रम करे।
- 09 संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-4/1)विभाग,  
शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग।
- 10 कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग।
- 11 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 12 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 13 श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस, (द्वारा जिला कलक्टर ब्यावर) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे शासन सचिव, कार्मिक विभाग की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोडे।
- 14 निजी पत्रावली /लेखा पत्रावली/रक्षित पत्रावली

